संख्या-1616/2024/ 1587/सत्रह-म-2024-17-1099/126/ 2023

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ :दिनांक: सितम्बर 26, 2024

विषय: सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना के संचालन हेतु निर्गत दिशा- निर्देश शासनादेश संख्या- 22/2024/637/सत्रह-म-2024-17-1099/126/2023 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के प्रस्तर-2(4) में संशोधन विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-420/नियो0 शा0/ स0म0प0ए0 सि0यो0 / 2024-25 दिनांक 12.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना के संचालन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- 22/2024/637/सत्रह-म-2024-17-1099/126/2023 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के प्रस्तर -2(4) योजना का क्रियान्वयन एवं लाभार्थी चयन में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के तालाबों में सघन मत्स्य पालन करते हुए अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करने हेतु जल की गुणवत्ता, रोग और रोगजनकों, जलीय वनस्पतियों तलाबों में घुलित आक्सीजन के स्तर का प्रबन्धन करने , जल कृषि में सभी एरोविक जलीय जीवों को जीवित रहने एवं विकास के लिए निर्धारित मानक के अनुसार घुलित आक्सीजन का स्तर तालाब में बनाये रखने की आवश्यकता के दृष्टिगत " सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना" के संचालन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- 22/2024/637/सत्रह-म-2024-17-1099/126/2023 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के प्रस्तर - 2(4) 'योजना का क्रियान्वयन एवं लाभार्थी चयन' में निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है-

शासनादेश प्रस्तर संख्या	शासनादेश संख्या- 22/2024/637/सत्रह-म-2024-17-1099/126/2023 दिनांक 11 जुलाई, 2024 में निर्धारित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
2(4)	योजना का क्रियान्वयन एवं लाभार्थी चयन	योजना का क्रियान्वयन एवं लाभार्थी चयन

	सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम का विकास परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित ऐसी महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता कम से कम 4 टन प्रति हे० हो तथा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो पात्र होंगे। लाभार्थी के चयन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए विभागीय पोर्टल पर आनलाईन आवेदन प्राप्त कर जनपदों में निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पत्र आवेदनों का रैंडमाईजेशन करते हुए चयन किया जायेगा:-	सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम का विकास परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित तालाबों की ऐसी महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता कम से कम 4 टन प्रति हे० हो तथा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो पात्र होंगे। लाभार्थी के चयन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए विभागीय पोर्टल पर आनलाईन आवेदन प्राप्त कर जनपदों में निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र आवेदनों का रैंडमाईजेशन करते हुए चयन किया जायेगा तथा लाभार्थी चयन में ग्राम सभा के तालाबों के पट्टे धारक महिलाओं को वरीयता दी जाएगी :-

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना के संचालन हेतु उपर्युक्त दिशा- निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 25-09-2024 20:06:42

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या /2024 / 1587 (1) सत्रह-म-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
5. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।

6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ ।
10. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0 ।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्यकार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
14. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।